दिनाक 06.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–06 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एटीएसः कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर भारत में निवास कर रहा म्यांमार का नागरिक यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड सहित म्यांमारध्बर्मा का राशन कार्ड भी बरामद

एटीएस, उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सहयोगी एजेंसियों से आसूचना प्राप्त हुई कि म्यांमार निवासी रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थ नगर–संत कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा है l UP ATS द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो प्रमाणित हुआ कि यह व्यक्ति मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है तथा इसके द्वारा दो पासपोर्ट
फर्जी दस्तावेजों (राशन कार्ड, मार्कशीट व प्राथमिक पाठशाला का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) के आधार पर बनवाएं गए हैं। इन पासपोर्ट पर इसके द्वारा सऊदी अरब व बांग्लादेश की यात्रा की गयी है। वर्ष 2017 में इसके द्वारा अपनी माँ, बहन तथा दो भाइयों को भी अवैध रूप से भारत लाया है और उनके भी फर्जी दस्तावेज तैयार किये गए हैं।

यह भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेशों से भी काफी मात्रा में पैसा आया है जिसकी जाँच की जा रही है।
एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन में UP ATS द्वारा दिनाँक 06.01.21 को अभियुक्त उपरोक्त को जनपद खलीलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी / बरामदगी के सम्बन्ध में मु.अ.सं.–01 / 21 अंतर्गत धारा – 419,420,467,468,471 आई.पी.सी., 14 विदेशी अधिनियम व 12 पासपोर्ट अधिनियम थाना–एटीएस ,जनपद–लखनऊ पर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

यूपी एटीएस द्वार कई अन्य प्रान्तों से भी जाँच पड़ताल की जा रही है जिससे अभियुक्त के सहयोगियों का विवरण एवं साक्ष्य संकलित किये जा सके। अभियुक्त के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उतर प्रदेश के कई अन्य जनपदों में भी दबिश दी जा रही है और कई और संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अजीजुल हक पुत्र मो. शरीफ (भारतीय दस्तावेजों के अनुसार अजीजुल्लाह पुत्र बदरे आलम)

हाल पता दृ ग्राम–नौरो पोस्ट व थाना बखिरा, चमरसन, संत कबीर नगर, उ.प्र.
मूल निवासी दृ नयाफारा, थाना बुतिडंग, जिला अक्याब, रखाइन , बर्मा

<u>बरामदगी</u>

1.	भारतीय पासपोर्ट	2 अदद
2.	आधार कार्ड	3 अदद (एक स्वयं का व दो अन्य के)
3.	पैन कार्ड	1 अदद
4.	डेबिट कार्ड	3 अदद
5.	राशन कार्ड	1 अदद (म्यांमार का)
6.	बैंक पासबुक	5 अदद बैंक खातों की

<u>प्रारंभिक पूछताछ विवरणः</u>

- अभियुक्त ने बताया कि वह वर्ष 2001 में बांग्लादेश के रास्ते से भारत में आया था।
- बदरे आलम निवासी– ग्राम दृ नौरो, पोस्ट व थाना–बखीरा, चमरसन, संत कबीर नगर ने बताया कि अजीजुल्लाह मेरा सगा बेटा नहीं है और न ही मेरा रिश्तेदार है बल्कि मेरे बेटे इनायत उल्ला को मुंबई में मिला था। अजीजुल्लाह ने स्वयं को अनाथ बताया जिसपर मुझे उसपर दया आ गयी और मैं उसे अपने घर ले आया।
- बदरे आलम ने बताया कि मैंने ही अजीजुल्लाह का नाम अपने राशन कार्ड में दर्ज करवा दिया जिसके आधार पर बाद में इसने भारतीय पासपोर्ट और अन्य कागजात बनवा लिए।
- अजीजुल हक ने बताया कि वो 2002 से भारत में रह रहा है और वर्ष 2017 में अपनी माँ आबिदा खातून, बहन फातिमा खातून, दो भाई जिया उल हक और मो. नूर को भी भारत ले आया था।
- उसका एक भाई जिया उल हक नासिक में रहता है जबकि बहनोई नूर आलम और भाई मो. नूर खलीलाबाद आने के बाद से कही चले गए हैं।
- विस्तृत पूछताछ जारी है।

<u>अग्रिम कार्यवाहीः</u>

गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा जिससे कि भारत में इनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी की जा सके।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार.

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी की 24 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 05.01.2021 को थाना सदर बाजार एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिविल लाइन से हसनपुर वाले रास्ते से 02 वाहन चोरो 1—रोहित 2— जसपाल उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी की 24 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। अभियुक्त जसपाल उर्फ जस्सी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में वाहन चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 15 अभियोग एवं अभियुक्त रोहित के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार पर चोरी के 05 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तो द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से वाहन चोरी करके ग्राहक मिलने पर उन्हें बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी बह्मपुरी कालोनी थाना सदर बाजार थाना सहारनपुर।

2— जसपाल उर्फ जस्सी निवासी शीतलपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः—

24 दो पहिया वाहन।

जनपद उन्नाव/थाना अजगैन

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस,**
- **01 रिवाल्वर, 05 जीवित कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, मोबाइल फोन,**
- **अपहृत सकुशल बरामद**

दिनॉकः 05.01.2021 को थाना अजगैन, क्राइम ब्रान्च व सर्विलान्स सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तौरा थाना क्षेत्र पुरवा के जंगल से अपहृत हिमांशू पाल को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता 1—अभय प्रताप उर्फ रामजीत सहित 2—दुर्गेश उर्फ नवीन 3—शान मोहम्मद उर्फ शानू 4—शान मोहम्मद उर्फ बक्तावर 5—गोलू उर्फ रंग बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 01 रिवाल्वर, 05 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 05.01.2021 को थाना अजगैन क्षेत्र से हिमांशू पाल का अपहरण कर फिरौती मॉगने के सम्बन्ध में थाना अजगैन पर मु0अ0सं0—06/2021 धारा 364ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अपहृत की बरामदगी व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के तत्परता से प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना अजगैन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—:

1—अभय प्रताप उर्फ रामजीत निवासी 1589/2 मंगला बिहार द्वितीय थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

2—दुर्गेश उर्फ नवीन निवासी—89/सी देहली सुजानपुर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

3—शान मोहम्मद उर्फ शानू निवासी हरी मस्जिद के पास जालमऊ थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

4—शान मोहम्मद उर्फ बक्तावर निवासी अन्ना चौराहा डबल स्टोरी चौकी सनिगवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

5—गोलू उर्फ रंग बहादुर निवासी ग्राम महौली थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस,

2—01 रिवाल्वर, 05 जीवित कारतूस,

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन,

4—02 मोबाइल फोन।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 लूट के मोबाइल फोन,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.01.2021 को थाना बेहट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलका पॉवर हाऊस कस्बा बेहट से पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0—506/2020 धारा 392 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

मोनू निवासी दूधला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी—:</u>

1—लूट का 02 मोबाइल फोन,

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 03 जीवित कारतूस

<u>जनपद हापुड/थाना सिम्भावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद हापुड पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) हापुड द्वारा थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 ए,बी भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त शेखर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————